

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक ५०४ / अका. / २००३

२१
रायपुर, दिनांक १५.३.०३

कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 15.3.2003 को 12.00 बजे कुलपति कक्ष में आहूत की
गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थिति थे-

१.	प्रोफेसर बी.पी.चन्द्रा, कुलपति	अध्यक्ष
२.	प्रोफेसर आर.सी.मेहरोत्रा	सदस्य
३.	प्रोफेसर एम.एल.नायक	सदस्य
४.	प्रोफेसर ओ.पी.वर्मा	सदस्य
५.	डा.युगल भारती	सदस्य
६.	डा. आर.पी.सुखीजा	सदस्य
७.	डा. श्रीमती गीता तिवारी	सदस्य
८.	डा.डी.के.कटारिया	सदस्य
९.	श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर	सदस्य
१०.	महंत राम सुन्दर दास	सदस्य
११.	श्री ललित सुरजन	सदस्य
१२.	श्री ए.मिन्ज, कुलसचिव	सचिव

कुलपति द्वारा नवनियुक्त कार्यपरिषद सदस्य महंत श्री रामसुन्दर दास जी का स्वागत किया गया।

कार्यवृत्त-

निम्न क्रमांक 1 बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड यौगिक सार्टीस के अध्यादेश क्रमांक 132, जो कि 5-1/2 वर्षों के स्थान पर पांच वर्षों के लिए प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश को अनुमोदन प्रदान करना।

निम्न क्रमांक सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

निम्न क्रमांक 2 अध्यादेश क्रमांक 82 (एम.ए.क्लासिक्स) की कण्डिका (2) में संशोधन का अनुमोदन।

निम्न क्रमांक सर्वसम्मति से संशोधन अनुमोदित किया गया।

निम्न क्रमांक 3 स्व. श्री एन.पी.पटेल, उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग-एक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के निधन के कारण उनके पुत्र श्री रामकुमार पटेल को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि स्व. श्री एन.पी.पटेल, उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग-एक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के निधन के कारण उनके पुत्र श्री रामकुमार पटेल को अनुकम्पा नियुक्ति नियमानुसार प्रदान किया जाना है क्योंकि विश्वविद्यालय में भी अनुकम्पा नियुक्ति पर प्रतिबंध है। विश्वविद्यालय में यदा-कदा ही अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है अतः विश्वविद्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति पर लगाये प्रतिबंध को समाप्त करने के लिये शासन को लिखा जावे।

विषय क्रमांक 4 विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद की बैठक दिनांक 03.03.03 के कार्यवृत्त की स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद की बैठक दिनांक 03.03.03 के कार्यवृत्त की स्वीकृति को अनुमोदित किया गया ।

विषय क्रमांक 5 सम्बद्धता-निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर महाविद्यालयों को सम्बद्धता दिए जाने पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से सम्बद्धता-निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर महाविद्यालयों को सम्बद्धता दिए जाने को अनुमोदित किया गया ।

विषय क्रमांक 6 अधिनियम की धारा 15 (4) के तहत कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित नवीन अध्यादेश क्रमांक 143 जो कि डिप्लोमा इन होलेस्टिक मेडिसीन एण्ड पैरामेडिकल कोर्स से संबंधित है, को विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 3 एवं परिनियम क्रमांक 10 के टेबल क्रमांक 3 विज्ञान संकाय में क्रम 09 में संमाहित किए जाने की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई ।

अध्यक्ष की अनुमति से

विषय क्रमांक 7 कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत रीडर पद पर कार्यरत शिक्षकों को चयन समिति की अनुशंसा पर प्रोफेसर पद पर एवं व्याख्याताओं को रीडर पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लेना।

सर्वसम्मति से कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत निम्नलिखित रीडरों को चयन समिति की अनुशंसा पर प्रोफेसर पद पर एवं व्याख्याताओं को रीडर पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया ।

प्रोफेसर पद पर

1. डॉ.एम.ए.खान, इतिहास अध्ययन शाला
2. डा.रमेन्द्र नाथ मिश्र, इतिहास अध्ययन शाला
3. डा.श्रीमती उषा दुबे, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला
4. डा.श्रीमती मंजुला गुहा, मानवविज्ञान अध्ययन शाला
5. डा.गौरीशंकर, सांख्यिकी अध्ययन शाला
6. डा.एम.पी.गुप्ता, भूगोल अध्ययन शाला
7. डा.एस.के.सिंह, सांख्यिकी अध्ययन शाला
8. डा.चित्तरंजन कर, भाषा विज्ञान अध्ययन शाला
9. डा.जे.एल.भारद्वाज, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला
10. डा.ए.के.वर्मा, लाइब्रेरी साइंस अध्ययन शाला

11. डा. कुमारी मिताश्री मित्रा, मानवविज्ञान अध्ययन शाला
12. डा. श्रीमती प्रोमिला सिंह, मनोविज्ञान अध्ययन शाला
13. डा. श्रीमती आभा रूपेन्द्र पाल, इतिहास अध्ययन शाला
14. डा. अब्दुल अलीम खान, विधि अध्ययन शाला
15. डा. अवध राम चन्द्राकर, भूगोल अध्ययन शाला
16. डा. श्रीमती जाकिया तरनीम खान, भूगोल अध्ययन शाला

डायरेक्टर/प्रोफेसर, प्रौढ़ शिक्षा

17. डा. बी. के. मेहता, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रौढ़ शिक्षा

₹1 लक्ष पद पर

1. डा. व्यासनारायण दुबे, भाषा विज्ञान अध्ययन शाला
2. डा. के. एल. वर्मा, भाषाविज्ञान अध्ययन शाला
3. डा. श्रीमती शैल शर्मा, भाषाविज्ञान अध्ययन शाला
4. डा. श्रीमती रीता वेणुगोपाल, शारीरिक शिक्षा अध्ययन शाला
5. डा. सी. डी. अगासे, शारीरिक शिक्षा अध्ययन शाला

विषय क्रमांक 8 लंबित आपत्तियों के निराकरण का अनुमोदन करना।

1. निम्नलिखित सर्वसम्मति से लंबित आपत्तियों के निराकरण को निम्नानुसार अनुमोदित किया गया।

प्रतिवेदन नं.	कंडिका	आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण	कार्यपरिषद का निर्णय
1965-65	19 A(iii)	प्राचार्य शास. उपाधि महाविद्यालय जगदलपुर द्वारा यूथ फॉस्टिवल के 7 छात्रों को ब्लेजर प्रदाय करने अग्रिम रूपये 550/- स्वीकृत या लेखा अप्राप्त है।	भुगतान वास्तविक, परन्तु लेखा अप्राप्त की राशि अपलेखित करने की स्वीकृति दी है।
1966-67	12(14)	मूल्यांकन कार्य/प्रश्न पत्र सेटिंग इत्यादि के लिए सीमा से अधिक व्यय	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
1966-67	13(4)	लोक कर्म विभाग के भवन में कुलपति के सचिव के निवास पर किया गया सुधार कार्य हेतु व्यय रूपये 2351/- मान्य नहीं।	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
1966-67	16(2)	ग्रंथालय क्रय में दरों की कुलपति से स्वीकृति का अभाव, पुस्तकों के मूल्य में बढ़ोत्तरी व कटौती से संबंधित स्पष्टीकरण	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
1967-68	6	परीक्षा विभाग द्वारा फीस आदि की वसूली के विषय में पूर्ण सावधानी न बरता जाना। मनीआर्डर से वसूली	व्यवस्था परिवर्तन की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
1968-69	12	वि. वि. यंत्री के पद पर सूरज बली दुबे की नियुक्ति अनियमित रूपये 800/- स्थायी वेतन की सक्षम स्वीकृति का अभाव।	स्वीकृति दी जाती है।
1969-70	15	सेनेटरी फीटिंग की सामग्री चोरी हो जाने से रूपये 150/- का भुगतान मान्य नहीं।	घटनाज्यन्य परिस्थिति होने पर भुगतान मान्य किया।
1972-73	7	पदोन्नति की तारीख में पुनरीक्षण सक्षम स्वीकृति उपलब्ध नहीं कराया गया।	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
1972-73	9	पार्ट टाइम चिकित्सक के नियुक्ति संबंधी शासन की स्वीकृति विषयक अभिलेख का अभाव।	छूट प्रदान की जाती है।
1972-73	22 (ii)	विदेशी प्रकाशन की पुस्तकों का अधिक भुगतान से	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।

		हानि।	
1972-73	25	बिना नया दर मंगाये पुराने दर पर क्रय से रुपये 539/- की हानि	मान्य किया जाता है।
1972-73	26	नयूनतम दर होने पर भी अधिक दर पर खरीदी की सक्षम स्वीकृति हानि रुपये 240/- की वसूली	मान्य किया जाता है।
1972-73	28	कुलपति निवास के पूर्ण निर्माण कार्य को तोड़ने का भुगतान रुपये 413.35 की हानि।	व्यय मान्य किया जाता है।
1972-73	39 ब	नयायलयीन मुकदमों के लिए अधिवक्ताओं को भुगतान- कार्य परिषद स्वीकृति का अभाव	कार्य स्वीकृति दी जाती है।
1973-75		कुलपति आवास गृह निर्माण में अनियमतता	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
	23 (i)	प्राक्कलन से अधिक भुगतान रुपये 19856.15	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
	23 (ii)	नियोजन व समय पर निर्णय न लेने से पूर्व जोड़ाई को तोड़ने का भुगतान रुपये 475/-	भुगतान मान्य किया जाता है।
1977-78	6 स	काल तिरोहित यात्रा भर्तों का समायोजन वसूली योग्य	यात्रा व्यय को मान्य किया गया।
1978-79	10		
1977-78	10	दैनिक भर्ते की सीमा से अधिक का भुगतान	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
1979-80	9	मे. फिलिप्स इंडिया लि. को तकनीकी सर्विस चार्ज रुपये 22500/- का भुगतान करने बाबत्।	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
1979-80	21	मानसेवी शिक्षक के पद पर छः मास से अधिक की नियुक्ति के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अभाव	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
1983-84	10	गुनाराम ठेकेदार का तृतीय रनिंग बिल पाताई के संदर्भ में	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
1983-84	11	गुनाराम पेटर का वि.वि. भवनों की पाताई व डिस्ट्रेंपर का बिल स्वीकृति अपेक्षित	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
1984-85	21	चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को टेरीकॉट वर्दी व सिलाई प्रदान करने स्वीकृति का अभाव	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
1986-87	8	स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापना पर अधिक व्यय	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
1986-87	10	परीक्षा आवेदन पत्र मुद्रण विलम्ब का दंड प्रभात नहीं किया जाना पाया गया।	कार्योत्तर छूट प्रदान दी जाती है।
1987-88	25	फोटो मीटर क्रय में अनियमितता	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
1987-88	28	प्रतिरक्षापन व्यय का औचित्य व कार्यपरिषद के क्रय आदेश का अभाव	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
1987-88	37	सायकल की चोरी बाबत	दुर्घटनाजन्य परिस्थिति मान्य किया गया।
1996-97	31	टर्फ क्रिकेट निर्माण में अनावश्यक व्यय रुपये 9450/-	व्यय मान्य किया जाता है।
1997-98	40	उत्तर पुस्तिकाओं के निर्माण के लिये सक्षम स्वीकृति के अभाव में रफये 1,11,640/- का अनियमित भुगतान	कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।
2001-02	8	पुर्नमूल्यांकन अग्रिम तथा भवन संधारण खाता पृथक पृथक संधारण/लेखांकन की स्वीकृति	स्वीकृति दी जाती है।

विषय क्रमांक 9 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 14.3.2003 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय सर्वसम्मति से भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 14.3.2003 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक 10 दिनांक 22.2.2003 को विश्वविद्यालय सभा द्वारा पारित विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष

2002-03 के पुनरीक्षित, एवं वर्ष 2003-04 के अनुमानित आय-व्यय को अनुमोदित करना।

निर्णय

सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2002-03 के पुनरीक्षित एवं वर्ष 2003-04 के अनुमानित आय-व्यय को अनुमोदित किया गया और सुझाव दिया गया कि आगामी बजट बनाते समय चार्टड एकाउंटेट श्री ओ.पी.सिंघानिया से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

अन्त में कुलसचिव ने सम्मानीय अध्यक्ष/सदस्यों को बधाई देते हुये आभार प्रकट किया।

कुलपति

पृष्ठांकन क्रमांक ५०५ /अका/2003

प्रतिलिपि-

०१. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
०२. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस.भवन, रायपुर।
०३. सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस.भवन, रायपुर।
०४. डॉ० आर.पी.सुखीजा, आचार्य, शायकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय रायपुर।
०५. डॉ० (श्रीमती) सत्यभामा आडिल, विभागाध्यक्ष (हिन्दी) शास.दू.ब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर।
०६. डॉ० एम.ए.ल. नायक, आचार्य, बायो-साईंस अध्ययन शाला पं० २०शु०विंवि० रायपुर।
०७. डॉ० ओ.पी. वर्मा आचार्य क्षेत्रीय अध्ययन शाला पं० २०शु०विंवि० रायपुर।
०८. प्रोफेसर आर.सी.मेहरोत्रा, डंगनिया, रायपुर।
०९. श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा।
१०. पं. रामसुन्दर दास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर।
११. डॉ० (श्रीमती) गीता तिवारी, प्राचार्य शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर।
१२. डॉ० युगल भारती, प्राचार्य शास. दिग्विजय महा. राजनांदगांव।
१३. डॉ० डी.पी.शर्मा, प्राचार्य शास. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर।
१४. डॉ० श्रीमती माया अरोरा, प्राचार्य, शा.महाविद्यालय, दुर्ग।
१५. श्री रामलाल भारद्वाज विधायक (पल्लारी क्षेत्र), बी-४, अयोध्या अपार्टमेंट रायपुर।
१६. श्री ललित सुरजन, प्रधान सम्पादक देशबन्धु रायपुर।
१७. डा.डी.के.कटारिया, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रायपुर।
१८. डा. श्रीमती रनेहलता मित्तल, पंडित जे.ए.ल.एन चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर।
१९. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।
२०. वित्त अधिकारी/आवासीय अंकेक्षण पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कुलसचिव

१५.३.०३

२४
रायपुर, १५ मार्च 2003

कुलसचिव